सोसायटी फार सस्टेनेबिल डिवलपमेन्ट करौली

वार्शिक रिर्पाट १९९७–९८

सोसायटी फार सस्टेनेबिल डिवलपमेन्ट (संस्थान) का यह वर्श पिछले कार्यकमों व परियोजनाओं को पूरा करने व आगे बढाने तथा नये कार्यकम शुरू करने की दिशा में रहा। संस्थान अपने मिशन सतत विकास व प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्ध में लोगो की भागीदारी को बढावा देने की और अग्रसर रहा। कार्यक्षैत्र करौली व सपोटरा तहसील के अन्तर्गत रहा।

वनों के प्रबन्ध में लोगों की भागीदारी :–

उच्चतम न्यायालय द्वारा २२ अगस्त, ९७ को देश के सभी संरक्षित क्षैत्रो, राश्ट्रीय उधानों व अभ्यारण्यों के सम्बंध में निवासियों के अधिकार तय करने तथा उन पर एक वर्श के अन्दर फैंसला कर देने के आदेश से कैलादेवी अभ्यारण्य के निवासियों में भी धबराहट फेल गई। इस फैंसलें का प्रचार प्रसार समाचार पत्रों में होने से लोगों को आशंका होने लगी कि उन्हे उनके निवास स्थान से हटा दिया जावेगा। अखबारों में इस तरह के समाचार प्रकाशित होने के बाद से ही कार्य क्षैत्र के ग्रामीणों ने संस्था से सम्पर्क करना शुरू कर दिया। संस्थान की और से उन्हे कानूनी प्रावधान व देश विदेश में इस सम्बंध में चल रही विभिन्न गतिविधियो के बारे में विस्तार से बताया गया ।

सितम्बर माह में निभैरा, खिजूरा, मरमदा, वीरमकी, लखरूकी, गोंदरधूरा, राहिर व अन्य कई गॉवों में बैठक आयोजित की गई तथा लागों व सभी ग्रामीणो को अगले एक वर्श में की जाने वाली प्रकियाओं के बारे में समझाया व बताया गया। इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश में एकता परिशद के गौतम बन्दोपध्याय, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली के आशीश कोठारी, आस्था उदयपुर के भवंर सिह चन्दाना से सम्पर्क कर वहां अभ्यारण्यों व राश्ट्रीय उधानों में उत्पन्न प्रतिकियाओं व उनके द्वारा की जा रही कार्यवाहियों की जानकारी इकटठी की गई।

करौली जिला कलैक्टर द्वारा जारी उदधोश्नाओं में दो माह के अन्दर लोगों को अपने अधिकारों की प्रकृति के बारे में क्लेम आवेदन पेश करने का समय दिया गया। इसके बाद से ग्रामीणों को लगने लगा कि दो माह के बाद ही उनको हटा दिया जावेगा। इसी दौरान २५ अक्टुबर, ९७ को विश्व बैंक से जसिका मोट व डेविड मार्शडन तथा वन संरक्षक व क्षैत्र निदेशक तथा उप वन सरंक्षक कैलादेवी क्षैत्र में आये जहॉ ग्रामीणो ने उनसे इस उदधोशणा का आशय व हटाने के सम्बन्ध में जानकारी चाही। वन संरक्षक ने आश्वासन दिया कि गॉवों से किसी को नही हटाया जावेगा। उच्चतम न्यायालय में निर्देश पर कानूनी प्रकियाऐं पूरी की जा रही है और ग्रामीणों के अधिकार लिखे जा रहे है ताकि भविश्य में वन विभाग और ग्रामीणों के बीच झगडा नही हो। इस सम्बन्ध में कैलादेवी अभ्यारण में वनी कुल्हाडी बन्द पंचायतों ने भी सकिय कार्य किया।

कैलादेवी अभ्यारण्य की उदधोशणा के लिये जिला कलैक्टर करौली द्वारा १४ अक्टुबर, ९७ व राश्ट्रीय धडियाल अभ्यारण्य के लिये १७ अक्टुबर, ९७ को सूचना निकाली गई। यह उदधोश्ना भी पूर्ण नही थी क्योंकि अभ्यारण्य से करीब ७० राजस्व गॉव प्रभावित होगें जिनकी जमीन अभ्यारण्य क्षैत्र में है। कैलादेवी अभ्यारण्य में ३६ ग्राम व राश्ट्रीय धडियाल अभ्यारण्य में १० गॉवो की अनुसूचि जारी की गई। संस्थान ने इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार प्रसार अभ्यारण्य क्षैत्र में किया। कलैक्ट्रेट में उपलब्ध अंग्रेजी के क्लेम फार्म आवेदन का हिन्दी रूपान्तरण किया तथा ग्रामीण क्षैत्र में बडे पैमाने पर वितरण किया। संस्था ने २६ नवम्बर ९७ व ४ दिसम्बर ९७ को कैलादेवी में तथा १० दिस० ९७ को करौली में सभी गॉवो से

प्रतिनिधियों को बुलाकर विस्तार से क्लेम फार्म भरने व इसके लाभ हानि के बारे में चर्चा की। संस्थान के प्रयासों के बाद अभ्यारण क्षेत्र स्थित गॉवों से ५३४ व्यक्तियों ने अन्तिम तिथी समाप्ति से पूर्व आवेदन किया।

इसके साथ ही विश्व प्रकृति निधी–भारत को उनके उच्चतम न्यायालय में दाखिल इस मुकदमें से बन रही स्थिति के बारे में भी निरन्तर बताया गया ताकि वे अपने स्तर पर क्षैत्र की वास्तविक स्थिति को समझ सकें व उसके मुताबिक कार्य कर सकें।

पर्यावरण शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

संस्थान ने पर्यावरण शिक्षण केन्द्र, अहमदाबाद के साथ मिलकर पर्यावरण के प्रति ग्रामीणों की सोच व पर्यावरण शिक्षण के आयाम के रूप में १६–२० दिसम्बर, ६७ को 'रणथम्भौर बाघ परियोजना– पर्यावरण शिक्षण की संभावनाऐं' विशय पर प्रशिक्षण कार्यशाला रखी। कार्यशाला में १६ गॉवों से ४० संभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को किरन देसाई, लीमा रोजलिंड, दिलीप सुरकर, अयूब शेरसिया व अरूण जिन्दल ने रोचक माध्यमों से पर्यावरण, अभ्यारण्य व सतत विकास की आवश्यकताओं के बारे में बिस्तार से बताया। कार्यक्रम में बिशय वस्तु की गहराई में जाने के लिए चर्चा चार समूहों में रखी गई ये समूह पानी व उर्जा, कृशि, पशुपालन व जैव विविधता थे। इन समूहों में संभागियों ने उपयोग, समस्या, समाधान, रोग, निवारण, आवश्यकताऐं आदि पर विस्तार से चर्चा की।

ग्रामीणों ने मूल्यांकन में बताया कि यह कार्यशाला पर्यावरण के प्रति जानकारी देने वाली, नये तरीके से सोच विकसित करने वाली रही।

पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रमः–

संस्थान ने कैलादेवी अभ्यारण्य के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की पारिस्थितिकी विकास परियोजना, कार्यक्रम व रणनीति तैयार की है। इस रणनीति में अभ्यारण्य पर पड रहे दबावों को कम करने के साथ–साथ लोगो के जीवन यापन की पूर्ति की योजना भी बनाई गई है। यह योजना लोगों की पूर्ण भागीदारी व सहभागिता से तैयार की गई है। यह योजना विश्व प्रकृति निधी भारत की मदद से तैयार की गई है। योजना क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है।

बाघ परियोजना का पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम :–

भारत सरकार, विश्व बैंक व ग्लोवल एन्वायरनमेन्ट फैसिलिटी के सहयोग से रणथम्भोर सहित देश की सात बाघ परियोजनाओं में इको डिवलपमेन्ट कार्यक्रम के क्रियान्वयन में स्थानिय वन्य जीव प्रशासन की संस्थान मदद कर रहा है। संस्थान ने इस पर एक रिपोंट भी तैयार की है। संस्थान कार्यक्रम के सही तरीके से क्रियान्वयन तथा गॉवों को जबरदस्ती विस्थापन नही करने के मामले को भी देख रहा है ।

संयुक्त सुरक्षित क्षैत्र कार्यशाला अनुगमनः–

पिछले वर्श दिसम्बर ६६ में हुई कार्यशाला के बाद उसके अनुगमन की कार्यवाही की गई। पानी की कमी दूर करने के लिये तीन नये जलगृह बनाने का प्रस्ताव वन विभाग को दिया गया वहॉ से इसकी स्वीकृति मिल गई है। परन्तु स्थान बदल दिये गये। अब इन जलाशयों का उपयोग वन्यजीवों द्वारा ही हो सकता है।पशुओं को टीकाकरण के लिये भी अभ्यारण्य अधिकारियों को कई बार कहा गया व नियमित सम्पर्क बनाया गया परन्तु टीकाकरण करवाने में अभी तक सफलता नही मिली है।

बन्य जीवों द्वारा मवेशी को मारे जाने पर मुआवजे के लिये की कई कार्यवाही में संस्था को सफलता मिली है। इस वर्श पॉच मवेशियों के मारे जाने पर मुआवजा स्वीकृत किया गया। मुख्य वन्य जीव सरंक्षक ने आश्वासन दिया है कि इस सम्बन्ध में बजट की कमी नही आने दी जायेगी।

सयुंक्त वन प्रबन्ध :–

वन मंडल करौली के सहयोग से ६ सितम्बर, ६७ को उपवन सरंक्षक की उपस्थिती में मंडरायल रेंज अन्तर्गत कोट ग्राम में एक पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में उपस्थित ग्रामीणों ने एक स्वर से वनों की आवश्यकता महसूस की तथा सयुंक्त रूप से वनों के प्रबन्ध करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होने बताया कि उनका जीवन यापन पूर्ण रूप से वनों पर निर्भर है। जमीन के लगातार कम होने से पशुपालन पर उनकी निर्भरता बढ रही है। ग्रामीणों ने पास के बडे गॉवों द्वारा अवैध रूप से लकडी कटाई को स्वंय रोकने में असमर्थता व्यक्त की तथा कहा कि वन विभाग इसके लिये सक्षम कार्यवाही करे। पंचायत में ही पसेला व कोट, पसेलिया, राजपुर व हल्लीपुरा गॉवों में कुल्हाडी बन्द पंचायत के सदस्य चुने गये।

एन.जी.ओ. मोनीटरिंग नेटवर्क:–

विश्व प्रकृति निधि द्वारा संचालित एन.जी.ओ. मोनीटरिंग नेटवर्क के सक्रिय सदस्य के रूप में राजस्थान के संरक्षित क्षैत्रो में हो रही गतिविधियों के समाचारो से सभी सदस्यों को अवगत कराने व समय पर उचित कार्यवाही के दृश्टिकोण से कार्य किया गया। समाचार पत्रो में समय–समय पर छपने वाले समाचारों व लेखों को नेटवर्क में भेजा गया। रणथम्भोर राश्ट्रीय उधान, सरिस्का बाघ परियोजना व कैलादेवी अभ्यारण की सूचनाऐं एकत्रित कर प्रसारित की गई। विश्व प्रकृति निधी द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका के फलस्वरूप क्षैत्र की स्थिति का भी अध्ययन कर रिर्पोट बनाई गई।

वन्यजीव प्रबन्ध में सामुदायिक भागीदारी पर दक्षिण एशियाई रिव्यू:–

वन्यजीव प्रबन्ध में सासुदायिक भागीदारी पर अन्तराश्ट्रीय स्तर पर हो रहे शोध की श्रंखला में भारत में आशीश कोठारी के नेतृत्व में एक दल दक्षिण ऐशिया की स्थिति पर अनुसंधान कर रहा है। अनुसंधान के लिये कैलादेवी अभ्यारण्य को भी चुना गया है। सतत विकास संस्थान इस अनुसंधान में शोध दल की मदद कर रहा है। इससे संस्थान के पास भी क्षैत्र के बारे में पर्याप्त सूचनाऐं एकत्रित हो गई है।

राश्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान कार्यक्रम:–

संस्थान ने भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा वन्यजीव विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के सहयोग से यह कार्यक्रम किया। कार्यक्रम करौली जिले की पंचायत समिति सपोटरा के अन्तर्गत १६ मार्च को मरमदा व १७ मार्च को निमैरा ग्राम में किया गया। कार्यक्रम के दौरान दीवार लेखन, बच्चों की रैली, पर्यावरण प्रदर्शनी, चित्रकला प्रतियोगिता व आमसभा सेमीनार रखी गई। कार्यक्रम से १००० लोगों में पर्यावरण सम्बन्धी जागरूकता व जानकारी फैली कार्यक्रम के दौरान जन प्रतिनिधी, सरपंच, जिला कलैक्टर,उपवन सरंक्षक, सहायक वन्यजीव संरक्षक, गायत्री परिवार के सदस्य, पर्यावरण शिक्षण केन्द्र के पर्यावरण कर्मी उपस्थित थे। कार्यक्रम में जिला कलैक्टर ने भी भाग लिया।

जल संसाधनों का सामुदायिक प्रबन्धः–

संस्थान ने कार्य क्षेत्र में पीने व सिंचाई के लिये पानी की भारी कमी को देखते हुये पानी के सामुदायिक प्रबन्ध का कार्य शुरू किया है। संस्थान ने इसके लिये बरसा के बहते पानी को रोककर नये तालाब, पोखर व एनीकट का निर्माण व पूर्व के बने हुऐ जल संसाधनों की मरम्मत व पुननिर्माण का कार्य शुरू किया है। कार्य क्षेत्र के ग्रामीणों से ग्राम विकास समितियों के माध्यम से प्रस्ताव लेना शुरू कर दिया है। शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जावेगा। ग्रामीणों की ओर से ऐसे कार्यो में पूरा सहयोग व समर्थन दिया जा रहा है। संस्थान पूर्व में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण व ग्राम पंचायतों का छोटे तालाबों की मरम्मत कार्यो में सहयोग कर चुका है। तालाबों व पोखरों की मरम्मत व निमार्ण से ग्रामीणो के न केवल पशुओं के पानी की किल्लत ही दूर होगी बल्कि सिचाई के लिये भी पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहेगा। इससे उनको खेती में रोजगार के अवसरों में भी वृद्वि होगी।

सतत विकास

ग्राम स्तरीय विकास संगठन निर्माणः–

संस्थान विकास योजना के निर्माण से कियान्वयन तक के कार्यो के विकेन्द्रीकरण की पक्षधर है। इसी सोच को लेकर संस्थान ने अपने कार्यक्षेत्र के ग्रामों में ग्रम विकास संगठनों का निर्माण किया है। ग्रामीणेा के परामर्श से गॉव के विकास के संदर्भ में चिन्तन व कार्य कियान्वयन के लिये सम्बन्धित गॉव के व्यक्तियों को चुनकर ग्राम विकास समिति का गठन किया गया है। जिसकी माह में दो बार बैठकें होती है। बैठकों में समिति के सदस्य गॉव की समस्याओं को प्रस्ताव के माध्यम से संस्था तक भेजते है जिनका संस्था के द्वारा सरकारी अधिकारीयों से मिलकर अथवा संस्था के निजी स्त्रोतों से समाधान का प्रयास किया जा रहा है।

वर्तमान में निभेरा ग्राम पंचायत के आठ ग्रामों में विकास समितियों बनी हुई हैं। अब तक विभिन्न गॉवो की समितियों के प्रस्तावों के माध्यम से वन विभाग, पशुपालन विभाग, कृशि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, भू संरक्षण व जलग्रहण विभाग के अधिकारीयों को क्षेत्र अवलोकन कराकर ग्रामिणेा से परिचर्चा का आयोजन किया गया है।

क्षयरोग शिविरः–

संस्थान ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित क्षयरोग निदान व चिकित्सा शिविर में भाग लिया। संस्था कार्यकर्ताओं ने १७ अक्टुबर, ६७ को महू में आयोजित होने वाले शिविर के लिये महू, गोठनियापुरा, भांकरी, सांकरा, कांकरियापुरा, गढी का गॉव, लांगरा, हरनगर, बहरदा व इनकी ढाणियों में प्रचार प्रसार किया। शिविर में ११२ रोगियों का पंजीयन किया गया। शिविर की सम्पूर्ण व्यवस्था संस्था द्वारा की गई। चिकित्सकिय सहयोग जिला चिकित्सा प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया गया। क्षैत्र में अनुसूचित जाति के लोग अधिक है जोकि पत्थर की खानों में कार्यरत है। उससे उन्हे क्षय तथा सिलिकोसिल नामक बीमारी हो रही है।

पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती :–

संस्थान द्वारा उन्नति अहमदावाद के सहयोग से पांच ग्राम पंयायतों का चयन कर उन्हे मजबूती प्रदान करने का कार्य शुरू किया गया। गुरदह, निभैरा, अतेवा, राहिर, कैलादेवी पंचायतों में गरीबी रेखा से

नीचें रहने वाले परिवारों को चयनित होने की प्रकिया की पूरी जानकारी दी तथा इसके लिये विशेस ग्राम सभाओं के सफल आयोजन का प्रचार प्रसार किया। इन ग्राम सभाओं में उपस्थित रहकर विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी लोगों को नियमों व प्रकियाओं की जानकारी दी।

इसी प्रकार इन पंचायतों में शिक्षा व्यवस्था की सूक्ष्म योजनाऐं बनाकर जिला परिशद व राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड को भेजी गई इन योजनाओं की बोर्ड व जिला परिशद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रसंशा की गई व नये विद्यालय खोले जाने पर अपनी योजना में शामिल करने का विश्वास दिलाया गया। संस्थान द्वारा पंचायतों में पानी की व्यवस्था पर भी सूक्षम नियोजन किया गया। पंचायती राज अधिनियम व नियमो को सरल रूप में तैयार किया गया व ग्रामीणों तथा ग्राम पंचायतों को वितरित किया गया ताकि वे पंचायती राज के सम्बन्ध में अपनी जानकारी बढा सके।

पुगल की एक संस्था द्वारा आयोजित १६–२४ सितम्बर, ९७ को पंचायती राज पद यात्रा में संस्था द्वारा भाग लिया व सहयोग दिया गया। इस पदयात्रा में भाग लेने से संस्था को अन्य क्षैत्र की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानकारी मिल सकी।

संस्था द्वारा चयनित पांच ग्राम पंचायतों में मतदाता सूचियों के संशोधन के लिये राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्राम सभाओ में भाग लेने के लिये संस्था के कार्यकर्ता जब ग्राम सभा स्थल पर गये तो पता लगा कि वहां के सरपंच को सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली ऐसी किसी ग्राम सभा का पता नही है। उन तक कोई सूचना नही पहुंची है जबकि स्थानिय व राज्य स्तरीय समाचार पत्रो में ग्राम सभाओ के आयोजन की ग्राम समानुसार तिथियां धोशित की गई थी।

ढांचागत समायोजन का प्रभाव:–

संस्थान देश में १९९१ से जारी ढाचांगत समायोजन व नई आर्थिक नीति के ग्रामीण समुदाय पर पडने वाले प्रभावों को जॉचने के लिये सर्वे कार्य कर रही है। इस सर्वेक्षण का दूसरा चक्र इस बर्श किया गया। इसमें निभैरा, मरमदा, आशाकी, व रायवेली गॉवों के ६० परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वे कार्य आस्था उदयपुर के साथ किया जा रहा है। इस सर्वे से पता लग सकेगा कि वन क्षैत्रों में रहने वाले लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड रहा है।

मानव संसाधन विकास:–

संस्थान ग्रामीण क्षैत्रों में ग्रामीणों को सूचना व तकनीकि की जानकारी देकर व प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर उनमें जागृति व आत्मविश्वास उत्पन्न कर रही है। अभी तक विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ग्रामीणें की मीटिंग करवाई जा चुकी है। इसी प्रकार संस्थान के कार्यकर्ता भी विभिन्न प्रशिक्षणों व कार्यशालाओं में भाग लेकर अपनी जानकारी व ज्ञान वढाकर क्षमता वर्धन करते रहते है।

साक्षरता अभियान में भागीदारी:–

जिला सम्पूर्ण साक्षरता समिति के सहयोग से संस्थान ने कार्य क्षैत्र के साक्षरता अभियान को गति देने का कार्य किया। इसके लिये ग्रामीणों, स्वंय सेवको, मास्टर ट्रेनर्स की अलग–अलग कार्यशालाऐं आयोजित की। इसके अलावा उन्हे आ रही समस्याओं के निपटारे की भी कोशिशे की गई। ग्रामीणों को साक्षरता केन्द्रों पर आने के लिये प्रेरित किया गया। क्षैत्र में साक्षरो को केन्द्रो पर आने के लिये वातावरण का निर्माण भी किया गया।